

तारीख दुबम

बक्शा उर्फ रामबक्स बनाम् कालू दगै०
इन्फोर्मासन्तकरण मुकदमा नं. 07/2012

नया
अपला
दुबम
नं. 07/2012

है। इसलिए ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 20.08.1973 को अपास्त किया जाकर निरस्त किये जाने का निवेदन पक्षील अपीलान्त ने अपनी बहस में किया है। ग्राम पंचायत मूण्डरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.1973 बाबत नामान्तरण संख्या 416 अपास्त किया जाकर नामान्तरण स्वीकार किये जाने हेतु अपील नामान्तरण पेश की गई है।

हमने अपील अपीलान्त एवं अपील पर उपलब्ध दस्तावेजात् जमाबन्दी सम्वत् 2027-2030, 2029-2032, 2042, 2065-2068, नामान्तरण संख्या 416 पंचायत बैठक प्रस्ताव इत्यादि का अवलोकन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ता 3 के विरुद्ध हाजिर अदालत नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 के द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए अपीलान्तस के पक्ष में राजीनामा दिनांक 09.08.2019 को भी पेश कर तस्दीक कराया जा चुका है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण में अपीलान्त बक्शा उर्फ रामबक्स के साथ उसके पुत्र कालू का नाम भी जोड़ा जाना प्रकट होता है। जबकि ग्राम पंचायत मूण्डरू को बिना किसी ठोस आधारों के इस प्रकार से नामान्तरण में पिता के साथ पुत्र का नाम जोड़े जाने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत मूण्डरू द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 416 पर पारित आदेश दिनांक 20.08.1973 को विधिसम्मत नहीं पाये जाने पर अपास्त किया जाना उचित समझता हूँ।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मूण्डरू पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नामान्तरण संख्या 416 पर पारित आदेश दिनांक 20.08.1973 को अपास्त किया जाता है तथा अपील अपीलान्तस तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वे अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित करें। पत्रावली इस न्यायालय से फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख आहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>बक्शा उर्फ रामबक्स बनाम् कालू वगै० अपील नामान्तकरण मुकदमा नं. 07/2012</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p>(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)</p>	